कार्यालय आत्मा, पूर्वी सिंहभूम

वर्ष 2020–21 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन'' (SMAE) उपयोजना के कियान्वयन हेतु दिनांक 19.08.2020 को आयोजित आत्मा शासकीय निकाय (AGB) की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति पंजी अलग से संधारित है।

दिनांक 19.08.2020 को उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2020–21 "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन" योजना के क्रियान्वयन हेतु आत्मा शासकीय निकाय का बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई।

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम के द्वारा माननीय उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, आत्मा एवं आत्मा शासकीय निकाय के सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् बैठक प्रारंभ की गयी।

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजनान्तर्गत क्रियान्वित गतिविधियों का उपलब्धि निम्नवत है –

विगत वर्ष 2019–20 की उपलब्धि –

1. केन्द्र प्रायोजित योजना Sub Mission on Agricultural Extension (SMAE) के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में किए गए गतिविधियों का लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि निम्न प्रकार है –

प्रशिक्षण –	लक्ष्य	उपलब्धि	लाभान्वित कृषकों की सं0	विवरण
अन्तर्राजकीय प्रशिक्षण	3	2	25	रामकृष्ण मिशन कृषि विज्ञान केन्द्र, पश्चिम बंगाल में 25 कृषकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण **समेकित कृषि प्रणाली** विषय पर कराया गया है।
			25	**दलहल फसलों की उन्नत खेती** विषय पर 25 कृषकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण Indian institute of pulse research (IIPR), Kanpur में कराया गया है।
राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	22	9	125	**जैविक खेती एवं रब्बी मौसम में उन्नत सब्जियों की वैज्ञानिक खेती** पर कुल 125 कृषकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र, गुमला में कराया गया है।
			100	**रब्बी मौसम में उन्नत सब्जियों की वैज्ञानिक खेती एवं पशु प्रबंधन** विषय पर Mobile agricultural school & services (MASS), Ranchi के द्वारा कुल 100 कृषकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया है।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण	40	9	432	कृषि विज्ञान केन्द्र, दारीसाई, घाटशिला में **मिट्टी नमूनों का संग्रहण, विश्लेषण एवं स्वयल हेल्थ कार्ड की उपयोगिता, बीजोपचार, समेकित पोषक तत्वों का प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन, पशुओं का सामान्य बीमारी एवं प्रबंधन** विषय पर कुल 432 कृषकों का गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया गया है।
			60	**समेकित पोषक तत्वों का प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन, पशुओं का सामान्य बीमारी एवं प्रबंधन** विषय पर पंचायत स्तर पर कृषक प्रक्षेत्र में, कुल 60 कृषकों का गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया गया है।
परिभ्रमण –				
अन्तर्राजकीय परिभ्रमण	6	3	25	**विभिन्न प्रजातियों के गव्य उनका पालन, प्रबंधन एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता की जानकारी** प्राप्त करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र–राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा में 25 कृषकों का 5 दिवसीय परिभ्रमण कराया गया है।
			50	कम्पोजिट मत्स्य पालन की जानकारी प्राप्त करने के लिए Ramsagar Fishery Project , Bakura, West Bengal. & Moyna, Purbi Mednapur, W.B में 50 कृषकों का 5 दिवसीय परिभ्रमण कराया गया है।
राज्य स्तरीय परिभ्रमण			50	खेलगाँव, राँची में कुल 50 कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण समारोह में परिभ्रमण कराया गया है।
	33	13	275	275 कृषकों अराकोरम, ओरमाँझी, राँची में मल्चिंग विधि से सब्जी की खेती में सुक्ष्म सिंचाई पद्यति के जानकारी हेतु परिभ्रमण कराया गया है।
जिला स्तरीय परिभ्रमण	40	37	210	Shavak nanavati technical institute (SNTI), Bistupur, Jamshedpur में मुख्यमंत्री कृषि आर्शीवाद योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में 210 कृषकों को परिभ्रमण कराया गया है।
			450	कृषि विज्ञान केन्द्र, दारीसाई, घाटशिला में समेकित कृषि प्रणाली के जानकारी हेतु 15 ईकाई 450 कृषकों को परिभ्रमण कराया गया है।
			450	मल्चिंग विधि से सब्जी की खेती में सुक्ष्म सिंचाई पद्धति के जानकारी हेतु 450 कृषकों का प्रगतिशील कृषक के प्रक्षेत्र, घाटशिला एवं पोटका में परिभ्रमण कराया गया है।
प्रत्यक्षण –				
कृषि	200	200	56	चयनित प्रखण्डों के 56 कृषकों के द्वारा कम पानी में कुलथी की खेती प्रत्यक्षण किया गया है।
			144	सभी 11 प्रखण्डों के 144 कृषकों के द्वारा **उन्नत प्रभेद की सरसों की खेती के उत्पादन में वृद्धि** का प्रत्यक्षण किया गया है।
संबंद्ध विभाग	200	200	62	**दुधारू पशुओं के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि** हेतु 62 चयनित पशुपालकों के प्रक्षेत्र में **उन्नत प्रभेद बरसीम** का प्रत्यक्षण कराया गया है।
			138	सभी 11 प्रखण्डों के 138 कृषकों के द्वारा **ब्रोकली सब्जी की उन्नत खेती** का प्रत्यक्षण किया गया है।

कृषक गोष्ठी –	22	20	1000	सभी 11 प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों में कृषक गोष्ठी का आयोजन BTM/ATM द्वारा किया गया जिसमें कृषकों को फसल बीमा, के0सी0सी0 एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी दिया गया ।
क्षमता विकास –	11	11	138	सभी 11 प्रखण्डों के महिला कृषक समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण BTM/ATM द्वारा किया गया। महिला समूहों को नर्सरी प्रबंधन, केंचुआ खाद निर्माण, पर क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया गया ।
किसान मेला –	1	1	450	पटमदा प्रखंड के जाल्ला कॉलेज मैदान में जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल, सब्जी, पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें 450 किसान लाभान्वित हुए है।
कृषक पाठशाला– (सभी 11 प्रखण्ड)	33	33	825	सभी 11 प्रखण्डों में BTM/ATM द्वारा चयनित ग्रामों में कुल 33 कृषक पाठशाला का प्रत्यक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। **फुलगोभी में बोरन का प्रभाव, सरसों की उन्नत खेती, स्वी विधि से गेहूं की खेती, धान का पंक्तिवद्ध खेती** विषय पर कृषक पाठशाला का आयोजन किया गया ।

<u>वर्ष 2020–21 हेतू प्रस्ताव</u> –

2. केन्द्र प्रायोजित योजना Sub Mission on Agricultural Extension (SMAE) के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के क्रियान्वयन के संबंध में –

इस संबंध में परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 419 दिनांक 02.06.2020 द्वारा Sub Mission on Agricultural Extension (SMAE) के तहत् वर्ष 2020–21 में कुल 249.96600 लाख राशि की स्वीकृति प्राप्त है। जिसका मदवार गतिविधियों का क्रियान्वयन निम्नवत् किया जाना है –

(i) **किसानों का प्रशिक्षण** –

(क) अन्तर्राजकीय प्रशिक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि जिला के 25 कृषकों के समूह को राज्य से बाहर पाँच (5) दिनों के लिए 01 समूह में प्रशिक्षण कराने का प्रावधान है । प्रति प्रशिक्षण मो0 1.56 लाख रू0 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है। प्रशिक्षण हेतु 01 समूह में 25 कृषकों को आत्मा के माध्यम से भेजा जाएगा।

क्रम सं.	प्रशिक्षण की संख्या	प्रशिक्षण हेतु संस्थान का नाम	प्रशिक्षण हेतु ले जाने वाले संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय	सम्भावित अवधि
1	1	Ramkrishna Ashram Krishi Vigyan Kendra Nimpith South 24 Pargana W. Bengal	आत्मा	समेकित कृषि प्रणाली एवं सब्जी फसलों का कीट प्रबंधन	नवम्बर 2020

उपरोक्त संस्थानों में कृषकों का अन्तर्राजकीय प्रशिक्षण कराने हेतु आत्मा शासकीय निकाय से स्वीकृति आपेक्षित है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त संस्थान में कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ख) राजकीय प्रशिक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि जिला के कृषकों को राज्य के अन्दर 02 समूह प्रति समूह 25 कृषक कुल 50 कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। प्रति प्रशिक्षण मो0 1.25 लाख रू0 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है। इस प्रशिक्षण को आत्मा एवं प्रखण्ड तकनीकी दल के माध्यम से राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जाएगा। NMAET, आत्मा मार्गदर्शिका, 2018 के कंडिका 5.1.7 पृष्ठ सं0 37 में उल्लेख निदेश के आलोक में कृषक गतिविधि मद के 10 प्रतिशत कार्य गैर सरकारी संस्था, एग्री प्रेन्योर से किया जाने का प्रावधान है । इसके आलोक में राज्य स्तरीय मुख्यालय कोषांग (एक्स्टेंशन रिफोर्म्स), राँची का पत्रांक 43 दिनांक 26.10.2009 द्वारा आत्मा के किसानोपयोगी प्रशिक्षणों में MASS, Ranchi को सम्मिलित करने का निदेश प्राप्त है। Joint Director (ER), Govt. of India/Ministry of Agriculture/ Department of Agriculture & Cooperation/Extension Reforms Unit- F.No. 27-19/ 2008-AE Dt. 15-12-2013 एवं निदेशक समेति का पत्रांक 43 दिनांक 26.11.2009 द्वारा अधिकृत MASS (Mobile Agriculture School & Services) Ranchi है । MASS (Mobile Agriculture School & Services), Ranchi के प्रबंध निदेशक, एक एग्री प्रेन्योर है ।

राजकीय कृषक प्रशिक्षण निम्नवत् विषयों एवं संस्थान में किये जाने का प्रस्ताव है –

क्रम सं.	प्रशिक्षण की संख्या	प्रशिक्षण हेतु संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय	सम्भावित अवधि
1.	1	MASS (Mobile Agriculture School & Services) , Ranchi	1. रब्बी मौसम में सब्जियों की उन्नत तकनीक से जैविक खेती 2. पशुपालन तथा उनका प्रबंधन	अक्टुबर 2020
2.	1	Krishi Vigyan Kendra, Bisunpur, Gumla	1. मृदा एवं जल संरक्षण 2. जैविक विधि से खेती	नवंम्बर 2020

कृषकों का राजकीय प्रशिक्षण उपरोक्त संस्थानों में कराने हेतु आत्मा शासकीय निकाय से स्वीकृति आपेक्षित है।

उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, आत्मा के द्वारा कृषकों को जैविक विधि से खेती का प्रशिक्षण हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र, बिशुनपुर में भी भेजने का निदेश दिया।

आत्मा शासकीय निकाय से उपरोक्त संस्थानों में कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान किया गया।

(ग) जिला अन्तर्गत प्रशिक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि जिला के कृषकों को जिला स्तरीय प्रति दल 30 कृषकों के दर से कुल 22 प्रशिक्षण जिला/प्रखण्ड स्तर पर दिया जाना है। प्रति प्रशिक्षण मो0 36,000/– (छत्तीस हजार) रू0 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है । दिनांक 24.06.2020 को आत्मा प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा निम्नवत् विषयों पर प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया गया जो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, प्रखण्ड तकनीकी दल के माध्यम से कुल 660 कृषकों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा –

1. मिट्टी नमूनों का संग्रहण, विश्लेषण एवं स्वायल हेल्थ कार्ड की उपयोगिता
2. बीजोपचार
3. समेकित पोषक तत्वों का प्रबंधन
4. समेकित कीट प्रबंधन
5. जल प्रबंधन
6. मशरूम की खेती
7. लाह की खेती
8. पशुओं का सामान्य बीमारी, पशु प्रबंधन एवं पशु चारा का प्रबंधन
9. कृत्रिम गर्भाधान (AI)
11. मत्स्य पालन
12. रबी मौसम में खेती किए जाने वाले फसल का प्रबंधन
14. फुलों की खेती एवं प्रबंधन
15. किसान क्रेडिट कार्ड
16. पशु चारा उत्पादन
17. जैविक खेती

प्रखण्डवार किए जाने वाले प्रशिक्षणों की संख्या निम्नवत् है –

क्रम सं0	प्रखण्ड का नाम	कुल प्रशिक्षणों की संख्या	कुल किसानों की संख्या	संस्थान का नाम
1	जमशेदपुर	2	60	पंचायत स्तर पर कृषक प्रक्षेत्र/ कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र/ कृषि विज्ञान केन्द्र
2	पोटका	2	60	
3	डुमरिया	2	60	
4	पटमदा	2	60	
5	बोड़ाम	2	60	
6	मुसाबनी	2	60	
7	गुड़ाबांधा	2	60	
8	धालभूमगढ़	2	60	
9	चाकुलिया	2	60	
10	बहरागोड़ा	2	60	
11	घाटशिला	2	60	
कुल :		**22**	**660**	

उपरोक्त विषयों का प्रखण्ड के आवश्यकताओं के अनुसार 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) द्वारा आयोजित किया जाएगा जिसमें विशेषज्ञ प्रगतिशील किसान, कृषि विज्ञान केन्द्र एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक एवं विभागीय पदाधिकारी होंगे।

कृषकों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र या सुविधानुसार प्रखण्ड परिसर अवस्थित आत्मा के अधीन कार्यरत कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र (ATIC) एवं पंचायत स्तर पर कृषक प्रक्षेत्र में कराये जाने हेतु आत्मा शासकीय निकाय से स्वीकृति आपेक्षित है।

आत्मा शासकीय निकाय से उपरोक्त संस्थानों एवं कृषक प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान किया गया।

(ii) <u>प्रत्यक्षण</u> –

कृषि एवं संबद्ध विभाग का प्रत्यक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019–20 में स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कुल 20 कृषि प्रत्यक्षण एवं 20 सबंद्ध विषयों पर प्रति ईकाई प्रत्यक्षण 01 एकड़ रकवा में करने का प्रावधान है जिसके लिए 4,000 रू0 (चार रूपये) प्रति इकाई की दर से कुल 1.60 लाख राशि कर्णांकित है। प्रति प्रखण्ड निम्नवत् संख्या (इकाई) के अनुसार कुल 11 प्रखण्डों में प्रत्यक्षण के लिए कृषकों का चयन कर लिया गया है। कृषकों का चयन प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) एवं प्रखण्ड सलाहकार समिति द्वारा किया गया है।

प्रखण्ड की संख्या	प्रत्यक्षण– कृषि– मडुआ की उन्नत प्रभेद का प्रत्यक्षण	प्रत्यक्षण– सबंद्ध विभाग– परवल की उन्नत प्रभेद का प्रत्यक्षण
11	20 ईकाई	20 ईकाई

प्रत्यक्षण का कार्य आत्मा कार्यालय, प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) द्वारा क्रियान्वयन की जाएगी। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण उप परियोजना निदेशक, आत्मा, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा कृषकों को दी जाएगी एवं तकनीकी सुविधा कृषि विज्ञान केन्द, दारीसाई से प्राप्त की जाएगी।

उपरोक्त प्रखण्डवार लक्ष्य के अनुसार कुल 40 प्रत्यक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय करने की स्वीकृति आत्मा शासकीय निकाय से आपेक्षित है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय करने की स्वीकृति प्रदान किया गया।

(iii) कृषक परिभ्रमण –

(क) अन्तर्राजकीय परिभ्रमण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020–21 में स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कुल 01 कृषक समूह (प्रति समुह–25 कृषक) का परिभ्रमण करने का प्रावधान है जिसके लिए 2.00 लाख राशि कर्णांकित है। कृषकों को कृषि एवं उद्यान में खेती की नई तकनीक की जानकारी हेतु कृषकों को राज्य के बाहर परिभ्रमण हेतु आत्मा के माध्यम से कराया जाएगा।

क्रम सं.	परिभ्रमण की संख्या	परिभ्रमण हेतु संस्थान का नाम	परिभ्रमण हेतु ले जाने वाले विभाग / संस्थान का नाम	परिभ्रमण का विषय	संभावित तिथि
1	1	Indian Institute of Vegetable Research (IIVR), Varanasi, Uttar Pradesh	आत्मा	मौसमी एवं बेमौसमी सब्जियों की उन्नत तकनीक से खेती	दिसम्बर 2020

दिनांक 24.06.2020 को आयोजित आत्मा प्रबंधन समिति के द्वारा सब्जी उत्पादन तकनीक के विषय पर परिभ्रमण हेतु वनारस, उत्तर प्रदेश भेजने का सुझाव दिया गया ।

अन्तर्राजकीय परिभ्रमण के तहत कृषकों को उपरोक्त संस्थान में भेजने एवं कर्णांकित मद की राशि व्यय करने हेतु आत्मा शासकीय निकाय से स्वीकृति आपेक्षित है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त संस्थानों में कृषकों का परिभ्रमण संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

(ख) राजकीय परिभ्रमण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019–20 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 04 ईकाई 100 कृषकों के लिए राजकीय परिभ्रमण का प्रावधान है। इसके लिए मो0 प्रति ईकाई 37,500 रू0 कुल 1.500 लाख राशि कर्णांकित है जिसके तहत् जिला के कृषकों को राज्य स्तर के कृषि संस्थानों एवं जिला के बाहर अवस्थित अच्छे नर्सरी, कृषक प्रक्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध विभागों के नई तकनीकों की जानकारी देने हेतु परिभ्रमण कराया जाएगा। परिभ्रमण का कार्य निम्नवत् संस्थान में किया जाएगा –

क्रम सं.	परिभ्रमण की संख्या	परिभ्रमण हेतु संस्थान का नाम एवं इकाई
1.	4	1. राज्य स्तर पर आयोजित कृषि संबंधी कार्यक्रम एवं स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 2. राँची के आसपास के प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्र में 3. राज्य स्तरीय ICAR के संस्थान के प्रक्षेत्र में

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त संस्थानों एवं कृषक प्रक्षेत्रों में कृषकों का राजकीय परिभ्रमण कराने एवं कर्णांकित मद की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, आत्मा के द्वारा कृषकों को जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रक्षेत्र या संस्थानों में परिभ्रमण कराने का निदेश दिया।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा परिभ्रमण कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान किया गया।

(ग) जिला अन्तर्गत परिभ्रमण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020–21 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कुल 22 जिला स्तरीय कृषक मो0 9,000 रू0 प्रति इकाई की दर से कुल 660 कृषकों परिभ्रमण करने का प्रावधान है। इसके लिए 1.9800 लाख राशि कर्णांकित है। जिसके तहत् रब्बी मौसम में धान/सब्जी की उन्नत खेती एवं जैविक खेती (मल्चिंग एवं सुक्ष्म सिंचाई पद्धति) से खेती करने वाले प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्रों में, जिला स्तरीय आयोजित होने वाले कृषि मेला एवं कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषि की नवीनतम तकनीक की जानकारी देने हेतु परिभ्रमण में ले जाया जाएगा। कुल 11 प्रखण्डों हेतु प्रति प्रखण्ड 01 कुल 22 इकाई कृषक परिभ्रमण का कार्य प्रखण्ड में गठित प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) द्वारा **नवम्बर, 2020 से जनवरी, 2021** में किया जाएगा ।

क्रम सं.	प्रखंड की सं0	परिभ्रमण की संख्या	परिभ्रमण हेतु संस्थान का नाम एवं इकाई / कृषकों की सं0
1.	11	22	1. पटमदा एवं बोड़ाम प्रखण्ड के प्रगतिशील कृषक प्रक्षेत्र परिभ्रमण 2. कृषि विज्ञान केन्द्र/ क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र दारीसाई 3. गौशाला केंचुवा खाद इकाई, चाकुलिया 4. जिला स्तर पर आयोजित कृषि मेला / विकास मेला/ स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मेला 5. अन्तर प्रखण्ड स्तर पर प्रगतिशील कृषक प्रक्षेत्रों में परिभ्रमण

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्रों में, जिला स्तरीय कृषि मेला एवं कृषि विज्ञान केन्द्र योजनान्तर्गत कृषकों का परिभ्रमण कराकर व्यय करने स्वीकृति दी जा सकती है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा परिभ्रमण कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(iv) कृषक समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020–21 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कुल 11 कृषक समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण

करने का प्रावधान है। मो0 5,000/– रू0 प्रति इकाई की दर से कुल 11 कृषक समूहों के लिए मो0 55,000/– रू0 राशि कर्णांकित है। प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) द्वारा समूहों का चयन किया जा रहा है ।

आत्मा शासकीय निकाय से कृषक समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण हेतु व्यय करने की स्वीकृति आपेक्षित है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उक्त मद में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(v) **जिला स्तरीय किसान मेला** –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020–21 में 01 किसान मेला का आयोजन करने हेतु जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 4.00 लाख रूपये कर्णांकित है। किसान मेला का आयोजन माह जनवरी, 2020 एवं फरवरी, 2020 में जिला के दोनों अनुमंडल में आयोजित किया जाने का प्रस्ताव है।

आत्मा शासकीय निकाय से किसान मेला मद में व्यय करने की स्वीकृति आपेक्षित है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा किसान मेला मद में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(vi) **प्रचार–प्रसार पुस्तिका का मुद्रण** –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020–21 में जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के अनुसार प्रचार–प्रसार पुस्तिका का मुद्रण का कराया जाना है जिसके तहत् Farm Information Dissemination through printed leaflets, Social Media मद में 1.00 लाख रू0 एवं Low Cost Publication मद में 7.9200 लाख रू0 राशि कर्णांकित है। जिसके तहत प्रचार–प्रसार पुस्तिका का मुद्रण कराया जाना है।

क्रमांक	प्रचार–प्रसार पुस्तिका का नाम
1.	परीक्षण के लिए मिट्टी नमूना का संग्रहण
2.	समेकित कृषि प्रणाली
3.	प्रगतिशील कृषकों की सफलता की कहानी
4	आत्मा की गतिविधियां एक नजर में (पत्रिका)
5	केंचुआ खाद का उत्पादन
6	मशरूम उत्पादन
7	ड्रीप एवं स्प्रींकलर प्रणाली की जानकारी
8	मटर की वैज्ञानिक पद्वति से खेती
10	चना की वैज्ञानिक पद्वति से खेती
11	रबी मौसम में तेलहनी फसल की खेती

12	पशुपालन की उन्नत तकनीक
13	मत्स्य पालन की उन्नत तकनीक
14	रबी मौसम के फसल में समेकित कीट प्रबंधन
15	डेयरी प्रबंधन एवं मार्केटिंग
16	पशुचारा उत्पादन
17	किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने से संबंधित जानकारी एवं लाभ

आत्मा शासकीय निकाय से प्रसार पुस्तिका का मुद्रण हेतु व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा प्रसार पुस्तिका का मुद्रण कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(vii) **कृषक वैज्ञानिक अंर्तमिलन** –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020–21 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के अनुसार 2 कृषक वैज्ञानिक अंर्तमिलन का आयोजन प्रखण्ड स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किया जाना है जिसके लिए मो0 40,000/– रू0 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है। निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 998 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा प्रति इकाई 5,000/– की दर से कृषक वैज्ञानिक अंर्तमिलन कार्यक्रम करने का निर्देश प्राप्त है। जिसके तहत कुल 8 कार्यक्रम निम्नवत् संख्या के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से कराया जाएगा –

क्रम सं.	प्रखण्ड का नाम	कृषक वैज्ञानिक अंर्तमिलन की संख्या	क्रियान्वयन में सहयोग करने वाले संस्थान का नाम
1.	पोटका	1	कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK,Darisai, Ghatshila)
2.	जमशेदपुर	1	
3.	पटमदा	1	
4.	बोड़ाम	1	
5.	घाटशिला	1	
6.	धालभूमगढ़	1	
7.	चाकुलिया	1	
8.	मुसाबनी	1	
	कुल –	**8**	

आत्मा शासकीय निकाय से उपरोक्त गतिविधि हेतु व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा कृषक वैज्ञानिक अंर्तमिलन कार्यक्रम कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(viii) **किसान गोष्ठी / प्रक्षेत्र दिवस** –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020–21 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के अनुसार 22 किसान गोष्ठी / प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन प्रखण्ड स्तर पर किया जाना है । प्रति किसान गोष्ठी / प्रक्षेत्र दिवस मो0 15,000 / – रू0 कुल 3.3000 लाख राशि जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है। निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 998 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा प्रति इकाई 5,000 / – की दर से किसान गोष्ठी / प्रक्षेत्र दिवस कार्यक्रम करने का निर्देश प्राप्त है। जिसके तहत कुल 66 किसान गोष्ठी / प्रक्षेत्र दिवस प्रखण्ड तकनीकी दल द्वारा खरीफ एवं रबी मौसम में कराया जाएगा जो निम्नवत् है –

क्रम सं.	प्रखण्ड का नाम	किसान गोष्ठी / प्रक्षेत्र दिवस की संख्या	क्रियान्वयन करने वाले संस्थान का नाम
1.	जमशेदपुर	6	प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT)
2.	पोटका	6	
3.	पटमदा	6	
4.	बोड़ाम	6	
5.	घाटशिला	6	
6.	धालभूमगढ़	6	
7.	चाकुलिया	6	
8.	गुड़ाबांदा	6	
9.	बहरागोड़ा	6	
10.	मुसाबनी	6	
11.	डुमरिया	6	
	कुल –	**66**	

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा सर्वसम्मति से प्रखण्डवार लक्षित संख्यानुसार किसान गोष्ठी आयोजित कर व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

आत्मा शासकीय निकाय से किसान गोष्ठी आयोजित कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ix) **कृषक पाठशाला** –

परियोजना निदेशक, आत्मा ने बताया कि वर्ष 2020–21 में स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 33 कृषक पाठशाला की स्थापना करने का प्रावधान है जिसका स्थापना ग्राम / पंचायत स्तर पर कृषि के नये तकनीकों का प्रसार हेतु प्रत्यक्षण के माध्यम से किया जाना है। प्रति कृषक पाठशाला की स्थापना हेतु मो0 29,414 / – रूपये जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है। उन्नत तकनीक से खेती कर अधिक से अधिक फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए 33 कृषक पाठशाला प्रखण्डवार निम्नवत् है –

क्रम सं0	प्रखंड	कृषक पाठशाला में संचालित तकनीक का नाम
1	पोटका	पक्तिबंद्ध धान की खेती
2		सरसों की उन्नत खेती
3		चना की उन्नत खेती
4	जमशेदपुर	पक्तिबंद्ध धान की खेती
5		सरसों की उन्नत खेती
6		टमाटर में बोरन का प्रभाव
7	पटमदा	SWI विधि से गेहूं की खेती
8		SWI विधि से गेहूं की खेती
9		फुलगोभी की खेती
10	बोड़ाम	पक्तिबंद्ध धान की खेती
11		धान एव मछली की मिश्रित खेती
12		SWI विधि से गेहूं की खेती
13	घाटशिला	धान का पंक्तिवद्ध खेती
14		टमाटर की उन्नत खेती
15		SWI विधि से गेहूं की खेती
16	धालभूमगड़	SWI विधि से गेहूं की खेती
17		चना की उन्नत खेती
18		सरसों की उन्नत पंक्तिवद्ध खेती
19	चाकुलिया	टमाटर की उन्नत खेती
20		सरसों की उन्नत खेती
21		SWI विधि से गेहूं की खेती
22	बहरागोड़ा	धान का पंक्तिवद्ध खेती
23		धान का पंक्तिवद्ध खेती
24		गेहूं की पंक्तिवद्ध खेती
25	गुड़ाबांदा	धान का पंक्तिवद्ध खेती
26		मक्का का पंक्तिवद्ध खेती
27		उरद की खेती
28	मुसाबनी	धान का पंक्तिवद्ध खेती
29		सरसों की उन्नत खेती
30		टमाटर की उन्नत खेती
31	डुमरिया	पक्तिबंद्ध धान की खेती
32		चना का खेती
33		अरहर सह मुंग की अन्तवर्ती (Intercropping) खेती

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त कुल 33 कृषक पाठशाला के संचालन हेतु व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा सर्वसम्मति से सभी 11 प्रखण्डों में कृषक पाठशाला का संचालन कर उक्त मद में व्यय करने की स्वीकृति दी गई ।

(x) आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंसन योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत प्रसार कर्मियों के मानदेय के भुगतान की स्वीकृति –

परियोजना निदेशक, आत्मा ने बताया कि वर्ष 2020–21 में स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजनान्तर्गत कार्यरत कार्यालय कर्मी एवं प्रसार कर्मियों को मानदेय भुगतान हेतु वेतन मद में कुल 116.04000 लाख राशि (ई0पी0एफ0 सहित) स्वीकृत है। आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजनान्तर्गत जिलावार एवं प्रखण्डवार कार्यरत कर्मी निम्नवत् है –

क्रम सं0	कर्मियों का नाम	पदनाम	पदस्थापन
1	गीता कुमारी	उप परियोजना निदेशक	जिला कार्यालय
2	अर्जुन सोरेन	कम्प्युटर ऑपरेटर	जिला कार्यालय
3	प्रतिमा बानरा	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	जिला कार्यालय
4	तरूण महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदस्थापित प्रखण्ड बोड़ाम प्रतिनियुक्त जिला कार्यालय
5	कुमारी लक्ष्मी सोरेन	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदस्थापित प्रखण्ड घाटशिला प्रतिनियुक्त जिला कार्यालय
6	कौशल कुमार झा	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पोटका
7	संधीर कुमार खलखो	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड धालभूमगढ़
8	बोधादित्य हाँसदा	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड चाकुलिया
9	प्रबीर कुमार	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बहरागोड़ा
10	बृजेश कुमार	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड घाटशिला
11	अनिता कुमारी	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड जमशेदपुर
12	शशीकला महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड जमशेदपुर
13	शशिकला कुमारी	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदस्थापित प्रखण्ड जमशेदपुर प्रतिनियुक्त कृषि निदेशालय, राँची
14	प्रतिमा महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पोटका
15	सुशील कुमार महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पटमदा
16	राजकुमार महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदास्थापित प्रखण्ड पटमदा प्रतिनियुक्त आत्मा कार्यालय प0 सिंहभूम, चाईबासा
17	चैताली दत्ता	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पटमदा
18	फुलकेश्वर महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बोड़ाम
19	जितेन्द्रनाथ रूहीदास	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बोड़ाम

20	सालगे सोरेन	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड मुसाबनी
21	राजु सरदार	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड डुमरिया
22	धरमेन्द्रनाथ महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड डुमरिया
23	दिलेश्वर महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड घाटशिला
24	रसोराज महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड धालभूमगढ़
25	हिरनमय महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड चाकुलिया
26	अमित कुमार	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदास्थापित प्रखण्ड चाकुलिया प्रतिनियुक्त आत्मा कार्यालय प0 सिंहभूम, चाईबासा
27	निर्मल कुमार महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बहरागोड़ा
28	दीपक कुमार नायक	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड गुड़ाबाधा
29	बासुदेव प्रसाद महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड गुड़ाबाधा

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा प्रसार कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में उनके उपस्थिति के अनुसार मानदेय का भुगतान करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा कार्यरत सभी प्रसार कर्मियों को मानदेय का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

सभा के अंत में जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

21/08/2020

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

21/8/20

उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।